न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

उपस्थितः— प्रीती भूषण, {उ0प्र0 न्यायिक सेवा}

मूलवाद सं0 844 / 2018

CNR No. UPAN120042582018

श्रीमती यशमता देवी———बनाम—— श्रीमती रेनू देवी

सुलहनामा निर्णय

दिनांक

04.11.2020

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर उभय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। आज पत्रावली सुलहनामा 20क पर बहस व आदेश हेतु नियत है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुलहनामा 20क पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादिनी श्रीमती यशमता देवी के द्वारा यह मूलवाद प्रतिवादिनी रेनू देवी के विरूद्ध विवादित दस्तावेज बैनामा दिनांकित 29.10.2018 के संबंध में दावा रेक्टीफिकेशन दस्तावेज बैनामा के अनुतोष के लिए दिनांक 29.11.2018 को योजित किया गया था।

प्रतिवादिनी रेनू देवी ने पत्रावली में उपस्थित आकर अपना जवाबदावा 13क दिनांक 19.12.2018 को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2020 को उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं।

इस स्तर पर उभय पक्षों की ओर से सुलहनामा 20क प्रस्तुत किया गया है और सुलहनामा 20क में वर्णित शर्तों के आधार पर वाद को निर्णीत किये जाने की याचना की गयी है। सुलहनामा 20क न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01. 2020 को उभय पक्ष की व्यक्तिगत उपस्थित में और उनके विद्वान अधिवक्तागण की पहचान व शिनाख्त के आधार पर सत्यापित किया गया है।

उभय पक्ष द्वारा सुलहनामा 20क प्रस्तुत करते हुए यह स्वीकार किया गया है कि वाद उपरोक्त में उभयपक्ष के मध्य मानिन्द लोगों की मध्यस्तता में आपस में मिल बैठ कर सुलह हो गयी है उभय पक्ष शरायत संधिपत्र के शर्तों के अनुसार वाद उपरोक्त का निस्तारण कराना चाहते है। अतः प्रार्थना की गयी है कि मुकदमे का निस्तारण संधि पत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर करने की कृपा की जाये।

इस प्रकार सुलहनामा 20क में वर्णित शर्तें विधि विरूद्ध नहीं है तथा उससे किसी अन्य व्यक्ति के प्रभावित होने की कोई संभावना भी नहीं है। अतः न्यायहित में सुलहनामा 20क स्वीकार किये जाने योग्य है और सुलहनामा 20क के आधार पर यह मूलवाद निर्णित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सुलहनामा 20क स्वीकार किया जाता है। सुलहनामा 20क में अंतनिर्हित एवं अग्रलिखित शर्तों के आधार पर यह मूलवाद निर्णित किया जाता है।

1. समझौतानामा केवल पक्षकारों के मध्य प्रभावी होगा।
2. समझौतानामा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम एवं किसी अन्य विधि के उल्लंघन में प्रभावी नहीं होगा।
3. समझौतानामा राज्य सरकार की भूमि व ग्राम सभा की भूमि पर लागू नहीं है।
4. इस आदेश की प्रति आवश्यक इन्द्राज हेतु कार्यालय उपनिबन्धक कार्यालय टाण्डा को प्रेषित की जाए।

दिनांक–04.11.2020

(प्रीती भूषण)
सिविल जज (जू0डि0),टाण्डा
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड यूपी2353

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–04.11.2020

(प्रीती भूषण)
सिविल जज (जू0डि0),टाण्डा
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड यूपी2353

Digitally signed by Priti Bhushan
Date: 2020.11.04 16:59:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court